

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## सेवानिवृत्ति आदेश

(नियम-78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनियम देखिए)

निम्नांकित राज्य कार्मिक जो राज्य सेवा में कार्यरत हैं को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर (सेवानिवृत्ति की तारीख) से, सरकारी सेवा से कॉलम संख्या-6 की दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्रम	कार्मिक का नाम श्री/सुश्री/श्रीमती	पदस्थापन स्थान (राजमावि/राजउमावि)	व्याख्याता विषय	जन्मतिथि	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति तिथि
1	DINESH KUMAR SHARMA	DAF-CHURU	COMM	15-11-1958	30-11-2018
2	OM PRAKASH SHAMRA	HANUTHYA-AJMER	HIST	24-10-1958	30-10-2018
3	ASHOK KUMAR MEHTA	ABEFO, BEEFO BADI SADRI-CHITTORGARH	COMM	09-12-1958	31-12-2018
4	JAGDISH PRASAD SHARMA	BANSERA- TODARAISHANG - TONK	HIST	03-02-1959	28-02-2019
5	KAILASH PRASAD SHARMA	RAJ.STAT.OPEN SCHOOL, JAIPUR	HIST	05-01-1959	31-01-2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक--

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

नोट: वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि से पूर्व किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती है तो सम्बन्धित संस्था प्रधान नियमानुसार कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय को अविलम्ब सूचित करें।


  
(नथमल डिंडेल)

IAS  
निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक- 8/10/18

क्रमांक- शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/रोनि/इति-वाणि/31853/2018-19/13  
प्रतिलिपि-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग,
- 2 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावादायी निधि विभाग,
- 3 सम्बन्धित उप निदेशक-माध्यमिक शिक्षा
- 4 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक शिक्षा- I/II
- 5 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड सम्बन्धित संस्था प्रधान/प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र-6 प्राप्त कर अंतिम अर्देय प्रमाण पत्र जारी करें।
- 7 सम्बन्धित व्याख्याता
- 8 रक्षित पत्रायली

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर